

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) रावतसर, जिला हनुमानगढ

क्रमांक-राजस्व/90क/20/39

दिनांक- 06.02.2020

पाधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी)
नगरपालिका रावतसर


विषय:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि उपयोग की अनुज्ञा जारी किये जाने के संबंधी चौधरी बाल विद्यालय समिति रावतसर जरिये सचिव रघुवीरसिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ के लिये सहमति रिपोर्ट ।

प्रसंग:-आपका पत्र क्रमांक/एफ.3/क.भू./न.पा.रा./2019/5061 दिनांक 03.02.2020 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नवीनतम राजस्व अभिलेख एवं पटवारी हल्का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित सहमति, विषयवस्तु में आपके द्वारा अग्रिम कार्यवाही के लिये अग्रिमित की जा रही है। विशिष्टिया निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विशिष्टिया	अन्युक्तिया
1	आवेदक का नाम	चौधरी बाल विद्यालय समिति रावतसर जरिये सचिव रघुवीरसिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट
2	पिता/पति का नाम मय जाति व पता।	चौधरी बाल विद्यालय समिति रावतसर जरिये सचिव रघुवीरसिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ
3	राजस्व अभिलेख में आवेदक का पता।	चौधरी बाल विद्यालय समिति रावतसर जरिये सचिव रघुवीरसिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन रावतसर खातेदार
4	भूमि के ब्यौरे क. भूमि का क्षेत्र ख. छतरा स० ग. राजस्व ग्राम	चक 8 ए.एम के प.न. 169/53 मु.न. 11 कि.न. 12/0.138, 13/0.253, 14/0.253, 15/0.253 = 0.897 है०
5	भूमि किसी निर्बन्धित प्रवर्ग में है/नही है।	मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड नही है।
6	किसी सक्षम न्यायालय का कोई रोक आदेश/व्यादेश भूमि के सम्बन्ध में, प्रवर्तन में है/नही है।	मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड किसी न्यायालय का स्थगन/विवाद नही है।
7	गैर-कृषिक परियोजन के लिये कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है/नही प्रदान की जाती है।	गैर-कृषिक परियोजन के लिये उक्त कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा इण्डियन रोड कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित सड़क सीमा छोड़कर व नियमानुसार अनुज्ञा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जानी उचित है।

नोट- उक्त रकबा चक 17 डी.डब्ल्यू.डी. की आबादी से 200 मीटर दूरी पर स्थित है।


 (कस्तुरीलाल जसवाल)
 तहसीलदार (राजस्व)
 रावतसर

नगर नियोजक महोदय,

रावतसर,

जिला

विषय :- संस्थानिक प्रयोजनार्थ योजना का ले आउट प्लान एवं नक्शा स्वीकृति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है चौधरी बाल विद्यालय समिति रावतसर जरिये सचिव - रघुवीरसिंह पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन रावतसर के स्वामित्व की कृषि भूमि जो राजस्व चक 8 म के स्थान नम्बर 169/53 मुख्या संख्या 11 के किला संख्या 12 की 0.138 हैक्टर, किला संख्या 13 की 0.253 हैक्टर, किला संख्या 14 की 0.253 हैक्टर व किला संख्या 15 की 0.253 हैक्टर कुल तादादी 0.897 हैक्टर भूमि है, जिसमें प्रस्तावित संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ योजना स्वीकृति हेतु आवेदन किया है, जो मास्टर प्लान में आवासीय दर्शाई गई है, जिसमें आवेदक के आवेदन की प्रति, राजस्व जमावंदी, राजस्व नक्शा की प्रति, ले-आउट प्लान व साधित नक्शा स्वीकृति हेतु पेश किया है। तहसीलदार राजस्व रावतसर के पत्रांक 163/20/39 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा भूमि की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें भूमि का कोई बाध नहीं है व राजस्व चक 17 डीडब्ल्यूडी की आबादी से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।

अतः श्रीमान शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के निदेशानुसार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के आदेश क्रमांक भूमि /प. डीडब्ल्यूडी/19/1056-1248 दिनांक 30.04.2019 के अनुसार जारी निर्धारित चैक टिस्ट की प्रक्रिया के साथ चलाने पर भिजवायी जा रही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना का राजस्व जमावंदी, राजस्व नक्शा की प्रति, ले-आउट प्लान, मास्टर प्लान में प्रस्तावित योजना, गुगल मैप के प्लान का नक्शा 2 प्रति में श्रीमानजी को प्रेषित कर निवेदन है कि बाध परीक्षण अनिवार्य स्वीकृति योजना का ले आउट प्लान एवं नक्शा अनुमोदन कर स्वीकृति आदेश मय नक्शा इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावै, ताकि आगामी संबंधित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

भवदीय

पवन कुमार चौधरी
(अधिसाधी अधिकारी)

नगरपालिका रावतसर

दिनांक :-

क्रमांक 163/न.पा.रा./कृ.भू./19-20/

विषय - प्रयोजनार्थ - चौधरी बाल विद्यालय समिति रावतसर जरिये सचिव - रघुवीरसिंह पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन रावतसर

Rachin
29/02/2020

(पवन कुमार चौधरी)
अधिसाधी अधिकारी
नगरपालिका रावतसर

वी.न.र